उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या-47 /2016/ 2635जे/22-5-2016-33(जेवी)/2016

लखनऊ : दिनांक- 30 दिसम्बर, 2016

विज्ञप्ति/नियुक्ति

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर- 669 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय गैर सरकारी जेल वीक्षकों को नामित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1495/22-4-2002-48(23)/99, दिनांक 07-01-2003 में उल्लिखित शर्तों के अधीन जिला कारागार, देवरिया के लिए निम्नलिखित 04 व्यक्तियों को गैर सरकारी जेल वीक्षक नियुक्त करते हैं। ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इनकी नियुक्ति इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष (02 वर्ष) तक की अवधि के लिए होगी, यदि इसके पूर्व ही इनकी नियुक्ति शासन द्वारा निरस्त न कर दी जाय :-

1- श्री राणाप्रताप यादव उर्फ मंजीत यादव पुत्र श्री हरिवंश यादव, निवासी-ग्राम-करजहां, तहसील-बरहज, जनपद- देवरिया।

2- श्रीमती शोभा यादव पत्नी श्री उमा शंकर यादव, निवासी ग्राम- सोन्दा, पोस्ट व तहसील-देवरिया, थाना-कोतवाली, जनपद-देवरिया।

3- श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री हरवंश सहाय, निवासी-भाटपाररानी, थाना-भाटपाररानी, जनपद-देवरिया।

4- श्री संतोष कुमार तिवारी पुत्र श्री चन्द्रशेखर तिवारी, निवासी-ग्राम-परसियां तिवारी, पोस्ट-गौरा जयनगर, तहसील-बरहज, जनपद-देवरिया।

एस0 के0 रघुवंशी

सचिव।

संख्या-47 /2016/2635जे(1)/22-5-2016-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।

3- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।

5- अधीक्षक, जिला कारागार, देवरिया।

6- सम्बन्धित व्यक्ति।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in